न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 37/2023 दर्ज तिथि : 17.02.2023

1. श्री नानालाल उर्फ नानूराम पिता मूला उर्फ मूलचन्द जाति भील उम्र 61 वर्ष निवासी लूणखन्दा हाल मु. ब्राह्मणों का मोहल्ला, केली तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौडगढ
................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा तहसील, निम्बाहेड़ा
..................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री शम्भुलाल तेली
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि : 08.06.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या–279 वाके ग्राम लूणखन्दा, पटवार हल्का मैलाना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में दर्ज आराजी नम्बर 1484 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी श्री नानालाल पिता मूला एवं अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के घर का नाम नानालाल पिता मूला दर्ज है जबकि प्रार्थी का रेकार्डेड नाम नानूराम है तथा प्रार्थी के पिता को मूला एवं मूलचन्द दोनों नामों से जानते हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में भी नाम नानूराम [illegible] दर्ज रेकार्ड हैं इस प्रकार नानालाल पिता मूला एवं नानुराम पिता मूलचन्द एक [illegible] व्यक्ति [illegible]कर इस नाम का अन्य कोई गांव में नहीं है। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थी ने [illegible] पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या–279 वाके ग्राम लूणखन्दा, पटवा[illegible] मैलाना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में दर्ज आराजी नम्बर 148[illegible] 0.22 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम नानालाल पिता मूला के बजाय नानूराम पिता मूलचन्द दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिकारी।

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता के नाम में गलत अंकन होने से प्रार्थी के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में दर्ज नाम अनुसार शुद्धि करने का निवेदन किया गया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार है:–

> *प्रार्थना–पत्र में आवेदित तथ्यों/शुद्धि के संबंध में मजमेआम के समक्ष जांच की गई। ग्रामवासी लूणखब्दा प्रार्थी को नानूराम के नाम से ही जानते हैं और इनके पिता का नाम मूलचब्द है। नानालाल पिता मूला एवं नानूराम पिता मूलचब्द दोनों एक ही है।*

4. मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का मैलाना एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, सरसी द्वारा मजमेआम में बनाये गये पर्चा मौका का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत, केली द्वारा जारी प्रमाण पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम नानूराम पिता मूलचन्द भील दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत केली द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार नानालाल पिता मूला एवं नानूराम पिता मूलचन्द दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। पटवारी हल्का, मैलाना एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, सरसी द्वारा संयुक्त रूप से मजमेआम में बनाये गये पर्चा मौका में भी अंकित किया गया है कि नानालाल पिता मूला एवं नानूराम पिता मूलचन्द दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:37 IST
Reason: SelfAttested

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है जो निम्न प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors.**– The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*

अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. इसके साथ ही प्रकरण में जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज की प्रविष्टि में हुई त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण जमाबंदी की तैयारी एवं जमाबंदी में दर्ज किये जाने वाले विवरण में हुई त्रुटि से संबंधित है। अतः जमाबंदी की तैयारी एवं जमाबंदी में दर्ज किये जाने वाले विवरण के संदर्भ में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अध्याय–7 (सर्वे एवं रिकॉर्ड प्रक्रिया) में प्रावधान बनाये गए है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अध्याय–7 (सर्वे एवं रिकॉर्ड प्रक्रिया) के भाग–घ की धारा–113 तथा 114 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

D. Record of Rights

113. Preparation of record of rights. *- In respect of every local area under survey and record operations or only under record operations the Land Records Officer shall frame for each village or portion of a village comprised therein a record of rights.*

114. Contents of record of rights. *- The record of rights shall be prepared in such, manner as may be prescribed by the State Government and shall consist of the following, namely —*

(a) a khewat, that is to say, a register of all estate-holders in the area under survey and record operations or under record operations, specifying the nature and extent of the interest of each and his co-sharers, mortgagee in possession and persons holding land from him other than as tenants, if any;

(b) a khatauni, that is to say, a register of all persons cultivating or otherwise holding or occupying land in such area, specifying the particulars required by section 121;

(c) a register of all persons holding land in such area free of rent or revenue; and

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

(d) such other registers as may be prescribed.

8. अतः प्रकरण में संलग्न दस्तावेजात, प्रार्थी का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि की प्रतियां, तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट, पटवारी हल्का, मैलाना एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, सरसी का संयुक्त रूप से मजमेआम में बनाया गया पर्चा मौका, सरपंच ग्राम पंचायत, केली द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अवलोकन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम नानालाल पिता मूला के बजाय नानूराम पिता मूलचन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम लूणखन्दा पटवार हल्का मैलाना की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 279 में दर्ज प्रार्थी श्री नानालाल पिता मूला 5/16 भील सा.देह के बजाय श्री नानूराम पिता मूलचन्द 5/16 भील सा.देह दर्ज किये जाने का अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड संधारित करने के आदेश तहसीलदार निम्बाहेड़ा को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 08.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

8/6/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner